बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संоसं०–17 / विविध 01–15 / 2025 – 344(17) पटना, दिनांक–19.03.2026

विभागीय संकल्प संख्या–450(1), दिनांक–15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं0–1092(17) दिनांक–04.10.2025 के आलोक में राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0 / डिप्लोमा उत्तीर्ण वैसे छात्र, जो उच्चतर शिक्षा पूर्ण करने / उच्चतर अध्ययन बीच में छोड़ देने / पूर्व पदस्थापन स्थल पर ससमय योगदान नहीं करने एवं अन्य कारणों से बॉण्ड अवधि पूरी नहीं कर सके हैं, उन्हें शेष बॉण्ड अवधि पूरी करने हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–05 में अंकित चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	विषय	पदस्थापन स्थान
01	02	03	04	05
01	URVASHI	15-11-1991	MS(OPTHAMOLOGY)	Rajendra Nagar Super Speciality Eye Science Centre, Patna
02	PAWAN PRATAP SINGH	15-08-1987	MS(OPTHAMOLOGY)	SH, Rohtas
03	SWASTIKA	01-08-1990	MD(GENERAL MEDICINE),	SH, Patna (Gurugovind Singh)
04	BIBHA KUMARI	08-02-1978	OBSTETRICS & GYNAECOLOGY,	SH, Saharsa
05	SAURABH RAJ	06-10-1990	MD(GENERAL MEDICINE)	SH, Ara, Bhojpur
06	LATHA C. NAIK	06-10-1993	MD(PATHOLOGY)	SH, Begusarai
07	SHAIKH ZAINAB KHURSHID	10-01-1989	MD(PATHOLOGY)	SH, Madhubani
08	RAJIV KUMAR (BHS)	01-07-1989	MD(GENERAL MEDICINE)	SH, Lakhisarai
09	SAPNA KUMARI	03-04-1995	MS/MD(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	SDH, Benipatti, Madhubani

2. उक्त पदस्थापित पी0जी0 / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र, जिन्हें विशेषज्ञता हासिल है, को यथासंभव उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सामान्य चिकित्सीय कार्यों के साथ–साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का कार्य भी लिया जायेगा।
3. उक्त सभी चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–05 में पदस्थापित चिकित्सा संस्थान में आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर योगदान समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. इनका यह नियोजन किसी भी रूप में नियमित नियोजन नहीं माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को पूर्व से प्राप्त हो रहे वेतन एवं अनुमान्य भत्तें देय होगें तथा वेतन से की जा रहीं कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।
6. उक्त पदस्थापित चिकित्सकों को मानदेय का भुगतान विभागीय पत्र संख्या–881(1), दिनांक–27.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार 85,000/–(पचासी हजार रूपये) प्रतिमाह देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित चिकित्सा संस्थान के कार्यालय बजट शीर्ष 28–02 संविदा सेवाएँ मद से किया जायेगा।
7. उक्त सभी चिकित्सकों का नियोजन विभागीय संकल्प सं0–450(1) दिनांक–15.04.2017 के आलोक में अनिवार्य बॉण्ड सेवा प्रदान करने के लिये किया जा रहा है। अतः बॉण्ड अवधि में केवल आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश ही देय होगा।

8. बंधेज पत्र के अनुसार बॉण्ड अवधि की समाप्ति के उपरांत चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गये अवधि की गणना के प्रमाणीकरण के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा चिकित्सक का मूल प्रमाण–पत्र उन्हें लौटा दिया जायेगा।

9. किसी चिकित्सा संस्थाना में चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरुद्ध बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक के अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी/समकक्ष रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–15/2025 – 344(17) पटना/दिनांक–19.03.2026

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव (श्री हिमांशु शर्मा), स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 19/3/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी।